पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक– 315 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/जी–4 दिनांक 16/03/2020

विषयः– **एडवायजरी कोरोना वायरस COVID-19 विषयक।**

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2)/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
.... ।

सचिव (प्रभारी), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/543 दिनांक 15 मार्च, 2020 के माध्यम से कारोना वायरस की रोकथाम एवं नियन्त्रण प्रबन्धन के अन्तर्गत कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु राजकीय एवं निजो कार्यालयों एवं अन्य कार्यस्थलों हेतु एडवायजरी जारी की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में सचिव (प्रभारी), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/543 दिनांक 15 मार्च, 2020 की छायाप्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि अपने नियन्त्रणाधीन समस्त कार्यालयों में एडवायजरी का अक्षरशः पालन करवाना सुनिशिचित करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

16/03/2020
(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

पत्रांकः /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/जी–4 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
2. निदेशक(वित्त/परिचालन/परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इन आदेशों को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि ।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक (मानव संसाधन)

संख्या 23प / आई0डी0एस0पी0 / COVID 19 / 2020 / 543

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

2. समस्त प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

3.समस्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

4.समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

5.समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून : दिनाँक : 15 मार्च, 2020

विषय –एडवायजरी कोरोना वायरस COVID-19 विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही / अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियन्त्रण प्रबन्धन के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु राजकीय एवं निजी कार्यालयों एवं अन्य कार्यस्थलो मे निम्न कार्यवाही की जानी है :

1. यह सुनिश्चित करें कि कार्यालय साफ और स्वच्छ रहें।
2. कार्यालय में बैठकों या समारोहों का आयोजन स्थगित करें सम्भव हो सके तो बैठकों के लिए वीडियो कान्फ्रेसिंग का उपयोग करें।
3. खांसी, जुकाम, सांस लेने मे तकलीफ के लक्षण वाले कर्मचारियों को कार्यालय पर नही आने व सम्भव हो सके तो कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति प्रदान की जाये।
4. कार्यालय में कर्मचारी अभिवादन में हाथ ना मिलायें व अन्य गैर सम्पर्क तरीकों का उपयोग करें।
5. कार्यालय के सभी वाशरूम में साबुन, हैंड वाश और सैनीटाइजर रखवाना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

6. कार्यालय में बार–बार स्पर्श की गई सभी सतहों जैसे दरवाजों के कुंडे व अन्य स्थान जहां हाथ पहुंचने, छुने से संक्रमण का खतरा हो सकता है उसकी नियमित सफाई / सैनिटाइजेशन करें।
7. कर्मचारियों को किसी भी यात्रा पर भेजने से परहेज करें।
8. कर्मचारियों द्वारा क्या करें – क्या न करें का अनुपालन किया जाये जो निम्नवत है :

क्या करें – क्या न करें :–

- सामुहिक समारोह एवं भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज करें।
- खांसते अथवा छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को रूमाल से ढकें।
- यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम व बुखार के लक्षण हों तो उससे दूरी बनाते हुए सावधानी बरतें।
- बाहर से आने पर एवं नाक, कान अथवा मुंह को छूने के बाद में अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से अच्छी तरह धोयें।
- शिष्टाचार में हाथ न मिलायें, गले न लगें एवं अन्य सम्पर्क बढाने वाले कार्य न करें।
- अधिक मात्रा में तरल पदार्थ तथा पौष्टिक आहार का सेवन करें।
- खुले एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थो का सेवन न करें।
- बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाई ना लें।

9. अधिक जानकारी हेतु हैल्पलाइन 104 पर सम्पर्क किया जा सकता है व बुखार, जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण उत्पन्न होने पर नजदीकी चिकित्सालय में सम्पर्क करें।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प / आई0डी0एस0पी0 / COVID 19 / 2020 / 545 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिला अधिकारी उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी समस्त जनपद उत्तराखण्ड।
6. मुख्य निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
7. मुख्य निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण उत्तराखण्ड।
8. मुख्य निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

Scanned with CamScanner